न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/64

मिसल नम्बर– 15/2023

1.श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी स्व0 पदम सिंह, आयु 80 वर्ष जाति राजपूत निवासी सोगरिया (बड़ा), थाना रेल्वे कॉलोनी, तह0 लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थीया।

बनाम

1.पूरण सिंह पुत्र स्व0 पदम सिंह, जाति राजपूत, आयु 55 वर्ष
2.श्रीमती उच्छव कंवर पत्नी पूरण सिंह, जाति राजपूत, आयु 50 वर्ष,
3.नरेन्द्र सिंह आत्मज पूरण सिंह जाति राजपूत आयु 30 वर्ष, निवासीगण पूनम कॉलोनी, थाना रेल्वे कॉलोनी, जिला कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 26/9/25

उपस्थितिः–

1.श्री विद्याशंकर गोस्वामी प्रार्थीया अधिवक्ता।
2.श्री जगदीश खण्डेलवाल अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया 80 वर्षीय वृद्ध महिला है, उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है। उसके पति का मिल्कियति मकान ग्राम सोगरिया में स्थित है, जिसमें वह स्वयं व उसके अन्य बेटे–बहु निवास करते है। प्रार्थीया अनपढ महिला है। प्रार्थीया की आय का कोई साधन नहीं है, उसको अपना भरण पोषण करने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उसका पूत्र अप्रार्थी क्रम 1 भारतीय रेल्वे में सर्विस करता है, जहां से उसे लगभग 60–70 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। प्रार्थीया के अन्य पुत्र गरीब मजदूर व्यक्तित है, जो बमुश्किल अपने व अपने परिवार का भरण पोषण ही कर पाते है, इसलिये वह प्रार्थीया की आर्थिक सहायता करने में असमर्थ है। अप्रार्थी क्रम 1 सक्षम होने के बावजूद भी अपनी माता प्रार्थीया की आर्थिक मदद एवं सेवा सुश्रुषा नहीं करता है, बल्कि उससे लड़ाई झगड़ा करता है, मां– बहिन की पोश पोश गालियां देता है, जिसमें अप्रार्थी क्रम 2 व 3 भी उसका पूरा– पूरा साथ देते है। अप्रार्थीगण कई बार प्रार्थीया के साथ मारपीट कर चुके है, किन्तु प्रार्थीया सास व दादी होने के कारण उसने अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवार के सदस्य मानते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वर्तमान में भी प्रार्थीया को अपने स्वर्गीय पति के निवासरत मकान में से भी जबरन प्रार्थीया को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बेदखल करने की धमकिया दे रहा है व सामान फेंकने की धमकियां दे रहा है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के अन्य पुत्र–पुत्रियों व बहुओं द्वारा कई बार समझा दिया गया है कि वह प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा, गाली गलौच व अभद्र व्यवहार नही करें, किन्तु अप्रार्थीगण अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आते है. बल्कि उसे उन्होंने सरे आम धमकी दे रखी है कि वह स्वयं मकान खाली करके संभला दें अन्यथा हमारे पिता व ससुर व दादा के मकान से हम स्वयं खाली करवा देगे, जबरन सामान फेंक कर हमारा सामान रख देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने कृत्यों में सफल हो गये और उनके द्वारा ऐनकेन प्रकारणे प्रर्थीया से उसके पति द्वारा निरमित पक्के मकान जो सोगरिया में स्थित है. से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया का बुढ़ापा खराब हो जायेगा और बुढ़ापे में निवास का आशियाना समाप्त होने से उसके सामने निवास की विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से सदैव मधुर संबंध बनाकर रखना चाहती है, किन्तु वे उसके साथ सदैव कटुता का व्यवहार करते है, बल्क उसे आंखों भी नहीं देखना चाहते है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध सीनियर सीटिजन एक्ट के तहत कार्यवाही करके अपने अधिकारों को हासिल कर सके एवं अप्रार्थीगण को अपने रिहायशी मकान से बेदखल न करने हेतु निषिद्ध करवा सके एवं अपने भरण पोषण हेतु 20 हजार रूपये मासिक खर्चा प्राप्त कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि प्रार्थीया के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के सोगरिया स्थित मकान से बेदखल न करने हेतु आदेशित किया जावे एवं प्रार्थीया अप्रार्थी कम 1 से 20 हजार रूपये मासिक भरण पोषण की राशि दिलवाये जाने की कृपा करें और अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायातलय उचित समझे, परिवादी को दिलाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि परिवादिया प्रार्थिया द्वारा बिना किसी हक अधिकार के सम्बन्धित कानून के विपरीत जाते हुऐ मनमर्जी रूप से, केवल आप्रार्थी संख्या–2 व 3 को भी परेशान, मानसिक तनाव देने की गरज से व बेइज्जत करने की दुर्भावना से अप्रार्थी संख्या–2 व 3 को इस पेश कार्यवाही में बिना किसी कारण के पक्षकार बनाया है। जो इस अनुसार निरस्त होने योग्य है। इस प्रकरण वाले सम्बन्धित कानून के अधीन प्रार्थिया को प्रतिपक्षी क्रम–2 व 3 के विरूद्ध प्रकरण पेश करने व अनुतोष करने के कोई अधिकार दिये हुऐ नही है। वास्तविकता यह है कि प्रतिपक्षी क्रम–1 के पिता पदम सिंह व प्रार्थिया प्रेम कंवर बाई के कुल 5 पुत्र व 3 पुत्रियां रही है। पिता पदम सिंह जी की मृत्यु वर्ष 2002 में होने के बाद उनके वारिस व कायम मुकामान प्रार्थिया बैवा व सभी पुत्र पुत्रियां बनते चले आ रहे है। पदम सिंह जी रेल्वे में रेलवे चार्ज मेन के पद की नोकरी करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात से उनकी पेंशन तब से वर्तमान में भी प्रार्थिया को करीब 22,000/–रूपये मासिक से अधिक की निरन्तर प्राप्त होती चली आ रही है। परिवादिया ने सर्वथा पूर्ण दुर्भावना से यह प्रकरण झूंटे तथ्यो पर प्रतिपक्षीगणो के विरूद्ध पेश किया है। कानूनन भी किसी भी वृद्ध माता–पिता की परवरिश आदी की जिम्मेदारी, शादी शुदा पुत्रियो को छोडकर सभी मौजूद पुत्रो की रहती है, प्रार्थिया द्वारा अपने पांचो पुत्रो में से केवल

उपखण्ड अधिकारी
को

एक पुत्र अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध ही यह कार्यवाही पेश करने से प्राथ्थिया की मानसिकता व दुर्भावना स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष आ रही है। काफी समय से प्रतिपक्षी नम्बर–1 परिवादिया के साथ मकान में ही निवास सपरिवार नही कर रहा है, परिवादिया अपने चारो पुत्रो के साथ पिता वाले इस सोगरिया वाले मकान में ही राजी–खुशी, सकुशल निवास करती चली आ रही है। प्रतिपक्षी क्रम–1 पृथक से गत काफी अरसे से सपरिवार निवास करते रहने से प्रार्थिया का यह कथन सर्वथा मिथ्या व झूंठा हो जाता है कि प्रतिपक्षीगणो द्वारा प्रार्थिया के साथ लडाई–झगड़ा, गाली– गलोच अथवा अभद्र व्यवहार अथवा मारपीट वाले कृत्य कभी किये गये हो। न इस बाबत परिवादिया ने कोई तारीख, समय, साक्ष्य ही वर्णित किये है। परिवादिया केवल अप्रार्थी संख्या– 1 के साथ इस कारण गुस्सा, दुर्भावना व विवाद रखती है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने हक अधिकारो के लिए व अधिकारो के तहत इस मकान के विभाजन का एक वाद बउनवान पूरण सिंह बनाम 1–प्रेमकंवर आदि सभी भाईयो, बहनो के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 कोटा में पेश किया, जो वादी के पक्ष में निर्णित व डिक्री किया हुआ है, जिसकी पालना के लिए इजराय की कार्यवाही भी न्यायालय में विचाराधीन चली आ रही है। न्यायालय के आदेश से इस पिता वाले मकान का बंटवारा/विभाजन होना है। इसी से अत्यधिक नाराज होकर व अन्य पुत्र–पुत्रियो से मिलीभगत कर प्रार्थिया द्वारा यह परिवाद इस सम्माननीय न्यायालय में झूंठे कथनो पर बिना किसी कारण व आधार के प्रस्तुत किया है, जो इस आधार पर निरस्तनीय है। इस मद के कथनो से भी पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थिया व अन्य सभी भाई बहनो द्वारा मकान का विभाजन न होने देने व हिस्सा न होने देने की दुर्भावना से व प्रतिपक्षी क्रम–1 को कोई मकान में हक हिस्सा न देने /न बनने की दुर्भावना से प्रतिपक्षी क्रम–1 के ऊपर पारिवारिक दबाव बनाने व इस प्रकार की कार्यवाही में उलझाने की दुर्भावना से यह कार्यवाही जरिये प्रार्थिया माता से करवाई है, जो निरस्त होने योग्य है। कभी भी प्रतिपक्षीगणो ने प्रार्थिया को मकान से बेदखल करने हेतु नही कहा। प्रार्थिया को कोई अधिकार नही है कि वह केवल प्रतिपक्षी क्रम–1 से किसी प्रकार की निर्वाह भत्ता राशि प्राप्त करे। वैसे तो प्रार्थिया को कोई भी निर्वाह भत्ता राशि चाहने की आवश्यकता ही नही है, क्योकि प्रार्थिया को रेल्वे विभाग से 22,000/– रूपये मासिक से अधिक पेंशुन राशि प्राप्त होती चली आ रही जो प्रार्थीया के लिये पर्याप्त ही है। प्रार्थीया ने इस प्रकरण में अपने अन्य चार पुत्र करण सिंह, राजेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, व सम्पत सिंह को पक्षकार दुर्भावना से नही बनाया है। प्रतिपक्षी के अलावा अन्य पुत्रो को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाये जाने से यह कार्यवाही पोषणीय नही है व नोन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित है, व प्रार्थिया इस प्रकार के कृत्य से प्रार्थिया की दुर्भावना स्पष्ट हो रही है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा पेश यह कार्यवाही सव्यय निरस्त फरमाने की कृपा करे।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की ओर को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये गए परन्तु प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई अतः बहस का अवसर बंद किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
को.

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीया के पति का मिल्कियति मकान ग्राम सोगरिया में है जिसमें स्वयं व उसके अन्य बेटे–बहू निवास करते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच व अभद्र व्यवहार करते है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट (न्यायालय एडीएम सिटी कोटा में पेश किये जाने के संबंध में) प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। प्रार्थीया के कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीया के पति पदम सिंह जी रेल्वे में रेलवे चार्ज मेन के पद की नोकरी करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात से पेशन लगभग 22000/– रूपये मासिक मिलती आ रही है। अप्रार्थीगण कई वर्षो से परिवादिया के साथ मकान में ही निवास नही कर रहें है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक व अधिकार के तहत मकान का विभाजन का एक वाद न्यायालय जिला एवं सेशन अपर जिला न्यायाधीश क्रम 3 में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण के उक्त कथनों का प्रार्थीगण की ओर से बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है जिस कारण से अप्रार्थीगण के उक्त कथन उचित प्रतीत होते है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा